छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 947/2008

1. श्री महेश्वर प्रसाद साहू, – अपीलार्थी
ग्राम–टेगनाकछार, ग्राम पंचायत–खैरझिटी,
विकासखण्ड–भिलाईगढ़, जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी, – प्रति अपीलार्थी
कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत–भिलाईगढ़, जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. जन सूचना अधिकारी/सचिव, – प्रति अपीलार्थी
ग्राम पंचायत–खैरझिटी,
विकासखण्ड–भिलाईगढ़, जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 30 जून, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री महेश्वर प्रसाद साहू द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए दिनांक 31.05.2008 को जन सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, भिलाईगढ़ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था, किन्तु उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा दिनांक 04.07.2008 को जिला पंचायत में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, किन्तु समयावधि में प्रथम अपील पर कार्यवाही/निराकरण नहीं होने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 18.08.2008 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। उभय पक्ष की सुनवाई के बाद आयोग द्वारा दिनांक 10.12.2008 को यह आदेश दिये गये थे कि एक सप्ताह में संबंधित रिकार्ड का निःशुल्क निरीक्षण कराया जावे और उसके बाद उनसे सूची लेकर राशि 100/– रूपये तक की जानकारी निःशुल्क दी जावे तथा अधिक की जानकारी चाहने पर शुल्क जमा कराकर प्रदान की जावे। साथ ही क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को राशि 250/– रूपये प्रदाय किया जावे। प्रकरण में उक्त आदेश का पालन नहीं होने के कारण अपीलार्थी ने पुनः दिनांक 25.04.2009 को आयोग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष के तर्कों का श्रवण किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी का आवेदन प्राप्त होने पर यह निर्देश दिये गये थे कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा 15 दिवस के अन्दर आवेदक एवं पंचायत सचिव को रिकार्ड सहित अपने समक्ष बुलाये और सुनिश्चित करें कि आवेदन अनुसार मॉगी गई जानकारी पूर्व निर्देशानुसार दी जावे। किन्तु उनके द्वारा इस निर्देश का पालन नहीं होने के कारण मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, भिलाईगढ़ तथा सचिव, ग्राम पंचायत, खैरझिटी दोनों को पॉच–पॉच हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 10.06.2009 को प्रस्तुत किया गया। सचिव द्वारा प्रस्तुत उत्तर में बताया गया कि आवेदक ने जानकारी अवलोकन उपरांत लेने से इंकार कर दिया, जिसका पंचनाम भी संलग्न किया गया है। इसी प्रकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत ने भी बताया कि दिनांक 01.04.2009 को बिल वाऊचर की सत्यप्रति उपलब्ध कराई गई और उसके बाद उन्हें दिनांक 05.04.2009 को सूचना पत्र भेजा गया तथा दिनांक 28.04.2009 को वे कार्यालय में उपस्थित हुये और उनके द्वारा यह कहा गया कि जन सूचना आयोग में पत्र दिये हैं और वहीं से जो निर्देश होंगे, उसके तहत् ही जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे यह स्पष्ट होता है कि कुछ जानकारी अपीलार्थी को दी जा चुकी है, और शेष जानकारी देने का प्रयास किया गया, किन्तु अपीलार्थी द्वारा लेने से इंकार किया गया है और अंतिम सुनवाई दिनांक को कुछ जानकारी समक्ष में दिलवायी गई। प्रकरण में अपीलार्थी ने बहुत विस्तृत जानकारी मॉगी थी, इसी कारण आयोग द्वारा जानकारी का निरीक्षण करने और राशि 100/– रूपये तक की जानकारी निःशुल्क देने तथा अधिक की जानकारी चाहने पर शुल्क जमा कराकर प्रदान करने के निर्देश दिये गये थे।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

व्यक्तिगत सुनवाई के समय अपीलार्थी भी अपने पक्ष में कोई संतोषप्रद तर्क प्रस्तुत नहीं कर सके तथा अपीलार्थी का रवैया भी असहयोगपूर्ण रहा है, जबकि प्रति अपीलार्थी जानकारी देने के लिए तैयार थे और उन्होंने जानकारी का अवलोकन भी कराया था। अतः उपरोक्त स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत तथा सचिव, ग्राम पंचायत दोनों का उत्तर संतोषप्रद प्रतीत होने से जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है। प्रकरण में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को निर्देश दिये जाते हैं कि वे पुनः सचिव को समस्त रिकार्ड के साथ और अपीलार्थी को अपने समक्ष बुलवा लें और यदि कोई जानकारी शेष रही हो तो वे भी आयोग के पूर्व निर्देशानुसार अपीलार्थी को उपलब्ध कराया जावे। साथ ही अपीलार्थी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी के साथ सहयोग करके उन्हीं से जानकारी प्राप्त करें। इसी तरह यदि क्षतिपूर्ति राशि का अभी–तक भुगतान नहीं हुआ हो तो वह भी किया जावे।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ यह अपील प्रकरण समाप्त किया जाता है।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com